

अंचल कार्यालय, महागामा

केश का प्रकार :-

अभिलेख संख्या :- 97/11-17

अपर समाहर्ता गोड्डा के पत्रांक 615/ रा0 दिनांक 17.05.2016 के आधार पर किया गया है जिसमें उन्होंने श्री मति राजबाला बर्मा मुख्य सचिव झारखंड सरकार द्वारा संदेहास्पद जमाबंदी की अभियान चलाकर जाँच कर समयवद्ध प्रभाव कारी कदम उठाते हुए अवैध जमाबंदी रद्द कर अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निदेश प्राप्त है। अतः पत्र कि प्रति सभी राजस्व कर्मचारियों को निर्गत करते हुए पत्र में वर्णित विन्दुओं पर जाँच प्रतिवेदन मांग की गई। उक्त पत्र के अनुपालन में हल्का कर्मचारी श्री राजेन्द्र कुमार पासी को अंचल निरीक्षक श्री राजेन्द्र कुमार पासी का जाँच प्रतिवेदन प्राप्त है। जिसमें उन्होंने प्रतिवेदित किया है कि मौजा..... थाना नं0 692 गैरमजरुआ खाता नं0 24/33 दाग नं0 32 रकवा 00-15-00 किस्म पाली कटोरा श्री गंगा देवी पिता गोबान चन्ना साकिन.....के नाम से पंजी 2 में नया जमाबंदी कायम है। जो संदेहास्पद प्रतीत होता है। अतः श्री गंगा देवी को दिनांक 22/5/16 समय 11:00 AM पुर्वाह्न में उक्त भूमि प्राप्त करने से संबंधित दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन हेतु अधोहस्ताक्षरी के समक्ष समर्पित करने का नोटिश निर्गत करें।

oe
22/5/16

अंचल अधिकारी,

22/5/16


अभिलेख संख्या 97/11-17। गंगा देवी पिता गोबान चन्ना ^{महागामा} के पुत्र राजेन्द्र बर्मास पिता स्व. राजेन्द्र बर्मास उपस्थित। उन्होंने राज्य सरकार के जमाबंदी से संबंधित दस्तावेज को जमाबंदी द्वारा प्राप्त उपभूतियाँ सत्यापन किया गया। उन्होंने बताया कि उक्त भूमि 8.0.0 द्वारा भाँटा गया किया गया। अतः उन्हें निदेश दिया जा रहा है कि मोररी से उपभूतियाँ का रिकॉर्ड अनुवाद का निर्धारण करके को समर्पित करें। अभिलेख संख्या 11/8/16 को रखा।

oe
22/5/16
31/5/17
गंगा देवी रावदास

sandha

31/7/2020

अभिलेख उपस्थापित।
मैट्रिक्स निर्गत करें।


अंशुभा
महाराणा

अभिलेख उपस्थापित।

05/01/2021

राजस्व अपभ्रष्टीकरण - सह-प्रभाषी कांचल मिडीकल गहन
गामा से प्रसंगत नूति का मौखिक प्रतिवेदन के साथ
अभिलेखीय प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है; जिसका
आवलोकन किया प्रतिवेदनानुसार आवेद्य संदेहास्पद
पंजी-द श्रेय का नूति सक्षम प्रपदाधिकारी से
प्राप्त है। वर्तमान में उक्त नूति ईंसीओएल ECL
क्षेत्र के अधिग्रहण क्षेत्र के अंतर्गत है

अतः उपरोक्त के आलोक में अभिलेख
की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

अंशुभा
महाराणा


अंशुभा
महाराणा


अंशुभा
महाराणा

सेवा में,

श्रीमान् अंचल अधिकारी,
महागामा।

विषय :- अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या 97/2016-17 गंठा देवी पिता-
रोशन चमार, का जांच प्रतिवेदन के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अवैध संदेहास्पाद वाद संख्या
97/2016-17 गंठा देवी पिता- रोशन चमार, का जांच
प्रतिवेदन का जांच किया जांचोपरांत पाया कि प्रश्नगत भूमि मौजा-बसुआ, थाना
नं0-692 के गैरमजरुआ खाता सं0-24/33 के अंदर दाग नं0-32 का अंश रकवा
00-15-00 धूर किस्म- परती-कदीम अंचल अधिकारी, महागामा/अनुमंडल
पदाधिकारी, गोड्डा के M.C. केश नं0-70/1957-58 के माध्यम से
गंठा देवी पिता- रोशन चमार को प्राप्त हुआ है, जिसकी
छायाप्रति संलग्न है। प्रश्नगत भूमि ई0सी0एल0 के द्वारा अधिग्रहण कर लिया गया है।

अतः उपरोक्त के आलोक में उक्त जमाबंदी को सही मानते हुये अभिलेख
की कार्रवाई बंद की जा सकती है। जांच प्रतिवेदन सादर सूचनार्थ समर्पित।

विश्वासभाजन

